107

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/सीधी/भूरा./2017/1848 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17—05—2017 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 39/अपील/2015—16 एवं आवेदन कमांक आर.सी.एम.सी.

.....

रामणि तनय रामकृपाल तिवारी
निवासी ग्राम मडिला खुर्द तहसील
चुरहट जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—प्रेमलाल तिवारी तनय बृजनन्दन तिवारी
निवासी ग्राम मडिला खुर्द तहसील
चुरहट जिला सीधी म0प्र0
2—जगदम्बा प्रसाद तिवारी तनय बृजनन्दन राम
निवासी ग्राम पटपरा तहसील चुरहट
जिला सीधी म0प्र0
3—म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला सीधी

——— अनावेदकगण

.....

श्री बृजेन्द्र शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्री गिरीश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 16-04-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.5.17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सारंश इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा दिनांक 25.4.03 को अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी के न्यायालय में आवेदन पत्र धारा 107(5) का प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय आधिकारी द्वारा तहसीलदार चुरहट को जांच प्रतिवेदन हेतु प्रकरण भेजा गया। प्रकरण में दिनांक 23.12.13 नियत की गई आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण अदम पेरवी में खारिज किया गया। आवेदक के आवेदन पर दिनांक 4.6.15 को प्रकरण नायब तहसीलदार चुरहट के न्यायालय में पुनः संचालित किया गया। दिनांक 18.3.16 को नायब तहसीलदार द्वारा लेख किया गया था कि राजमणि तिवारी द्वारा मौजा पटपरा की आराजी खसरा कमांक नया 2235/0.29, 2240/0.8, 2242/0.13, 2244/0.13, 2245/0.04, 2250/0.13 कुल किता 6 का बन्दोवस्त त्रुटि सुधार का आवेदन प्राप्त हुआ राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन मंगाया गया तथा प्रभावित कृषको को आहूत किया गया। प्रभावित कृषक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा बन्दोवस्त के दौरान पुराने से नये नक्शा निर्माण में त्रुटि की गई है जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है। चूंकि प्रकरण नक्शा सुधार का है जिसे सुधार करने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को है इसलिये यह प्रकरण पुनः अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दिनांक 4.8.16 को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17.8.16 को नायब तहसीलदार से जांच रिपोर्ट ली गई तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर नायब तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई। जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17.8.16 को नक्शा सुधार के आदेश पारित किये। इससे दुखित होकर अनावेदक कमांक –1 द्वारा कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा दिनांक 17.5.17 को धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि कलेक्टर जिला सीधी का आलोच्य आदेश प्रथम अपीलीय हैसियत के आधार पर पारित होने के कारण तथा विधि प्रकिया के विपरीत कानूनन

त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही अधिकारिताविहीन है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह समझने में काननी भूल की है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा तर्मीम संशेधित प्रशासनिक आदेश था प्रस्तावित संशोधन तहसीलदार का आदेश अंतरिम प्रकृति का आदेश था जिसके विरूद्व संहिता की धारा 46 अनुसार अपील वर्जित है, बल्कि उक्त आदेश के विरूद्व पुनरीक्षण प्रस्तुत होगी न कि अपील मानी जाय। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील आयुक्त को होगी न कि कलेक्टर का नक्शा तर्मीम के संबंध में प्रथम अपीलीय हैसियत से पारित आलोच्य आदेश एवं अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम अनुसार निराकृत आवेदन अधिकारिताविहीन आदेश है, अधिकारिता विहीन आदेश अपने आप प्रभाव शून्य है। यह आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में माना है कि तहसीलदार चुरहट के द्वारा प्रकरण कमांक 43/अ–5/2003–04 आदेश दिनांक 18.3.16 को प्रतिवेदन भेजा गया है सूचना जारी किये बिना ही अनावेदकगण की जमीन के नक्शा संशोधन प्रस्ताव एवं अंतिम आदेंश दिनांक 17.8.16 को पारित कर दिया गया है कार्यवाही की सूचना नहीं थी न ही आदेश दिनांक 18.3.16 तहसीलार का न ही 17.8.16 अनुविभागीय अधिकारी की ही जानकारी हो पाई, जबकि तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से मौके का जांच प्रतिवेदन पंचनामा एवं संशोधन प्रस्ताव में अनावेदक प्रेमलाल, जगदम्बा स्वयं मौजूद थे स्थल जांच पंचनामा प्रतिवेदन संलग्न था। अनावेदकगण प्रेमलाल, जगदम्बा के सहमति पर हस्ताक्षर भी निर्मित है सहमति पर संशोधन प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिस आलोच्य आदेश की जानकारी दिनांक 8.7.04 को यानी धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.10.16 के 12 वर्ष पूर्व जगदम्बा प्रसाद को थी एवं इसी तरह प्रेमलाल को भी दिनांक 21.9.16 के पूर्व थी इसके बावजूद समय सीमा के अंदर अपील प्रस्तुत नहीं किया था जिस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न करके स्थल पंचनामा को दृष्टिओझल कर आवेदन समय सीमा के अंदर मानने में कानूनी भूल की है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी समझने में कानूनी भूल की है

कि जब अनावेदक तहसील व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तब उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं थी। अनावेदकगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति आवेदन पत्र पर सर्वप्रथम आदेश पारित होना चाहिये कि अपील प्रस्तुत की अनुमति दी गई कि नहीं? कलेक्टर के समक्ष उक्त अंतरिम आवेदन पत्र एवं आदेश 41 नियम 27 अंतरिम आवेदन पत्र पर कोई विचार निराकरण नहीं किया गया, अीिलेख में पक्षकार निरूपित नहीं किया गया, अपील प्रस्तुत की अनुमति ग्राह्य नहीं की गई, फिर भी म्याद आवेदन पत्र का निराकरण कर दिया गया एवं बिना बोलता हुआ आदेश पारित कर दिया गया जो न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग है। अतः आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर जिला सीधी का आदेश दिनांक 17.5.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.5.17 अभिलेखों के परीक्षण तथा उभयपक्ष के तर्को को श्रवण करने के उपरांत पारित किया गया है जो कि विधि अनुसार होने से स्वीकार किये जाने योग्य है, अर्थात आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन निरस्त किया जाय। प्रकरण में संलग्न अभिलेखें से यह प्रमाणित है कि न्यायालय नायब तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 4.6.15 को पहली बार अनावेदकगण को आहुत करने का आदेश दिया गया है जबकि उक्त प्रकरण नायब तहसीलदार के यहां 25.4.03 से अर्थात 12 वर्ष पूर्व से विचाराधीन था। प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र का अवलोकन करने पर यह तथ्य भी प्रमाणित है कि उक्त सूचना अनावेदकगण को नहीं बल्कि उनके पुत्र को देना अंकित किया गया है जो कि सूचना तामीली का उचित विधान नहीं हैं। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में यह भी लेख किया गया है कि अनावेदक एक ही परिवार के सदस्य सगे भाई है। अतः यदि एक भाई को सूचना एक माह पूर्व थी तो दूसरे भाई को सूचना एक माह पश्चात् कैसे हुई? उक्त तथ्य अंकित करते समय आवेदक द्वारा यह बात न्यायालय के समक्ष छुपाई गई कि दोनों भाईयों के बीच लगभग 5 वर्ष से विवाद की स्थिति है इसके अतिरिक्त एक भाई ग्राम पटपरा में निवास

करता है जबकि दूसरा भई ग्राम मडिला में निवास करता है तथा दोनों ग्रामों के बीच की दूरी एक किलो मीटर से भी ज्यादा हैं इसके अतिरिक्त दोनों भाइयों द्वारा अलग अलग अपील प्रकरण प्रस्तुत करना भी यह प्रमाणित करता है कि दोनों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है यदि दोनों के मध्य मुधर संबंध होते तो दोनों भाई इकटठे एक ही अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत करते। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमों में यह कथन किया गया है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से मौके का जांच प्रतिवेदन पंचनामा एवं संसोधन प्रस्ताव में गैर निगरानीकर्ता स्वयं मौजूद थे तथा उनके सहमति पर हस्ताक्षर निर्मित है यह तथ्य पूर्णत असत्य है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी लेख किया गया है कि कलेक्टर जिला सीधी द्वारा पारित आदेश के आपरेटिंग पैरे में यह लिखा गया है कि अभिलेखों से यह तथ्य साबित है कि मातहत अदालत द्वारा प्रभावित हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में यह भी लिखा गया है कि न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलार्थीगण को जो सूचना जारी की गई है प्रत्यक्ष तामील नहीं है । अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात तथा दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात कलेक्टर जिला सीधी द्वारा पारित आदेश उचित एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को का श्रवण किया तथा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस का एवं प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला सीधी ने यह समझने में कानूनी भूल की है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा तर्मीम संशोधित प्रशासनिक आदेश था प्रस्तावित संशोधन तहसीलदार का आदेश अंतरिम प्रकृति का आदेश था जिसके विरूद्व संहिता की धारा 46 अनुसार अपील वर्जित है, बल्कि उक्त आदेश के विरूद्व पुनरीक्षण प्रस्तुत होगी न कि अपील मानी जाय। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील आयुक्त को होगी न कि कलेक्टर का नक्शा तर्मीम के संबंध में प्रथम अपीलीय हैसियत से पारित आलोच्य आदेश एवं अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम अनुसार निराकृत आवेदन अधिकारिता विहीन आदेश है,

अधिकारिता विहीन आदेश अपने आप प्रभाव शून्य था। आवेदक अधिवक्ता के तर्क में यह बल भी मिलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में माना है कि तहसीलदार चुरहट के द्वारा प्रकरण कमांक 43 / अ–5 / 2003–04 आदेश दिनांक 18.3.16 को प्रतिवेदन भेजा गया है सूचना जारी किये बिना ही अनावेदकगण की जमीन के नक्शा संशोधन प्रस्ताव एवं अंतिम आदेश दिनांक 17.8.16 को पारित कर दिया गया है कार्यवाही की सूचना नहीं थी और न ही तहसीलदार के आदेश दिनांक 18.3.16 की और न ही आदेश दिनांक 17.8. 16 अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की जानकारी हो पाई, जबकि तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से मौके का जांच प्रतिवेदन पंचनामा एवं संशोधन प्रस्ताव जो कि तहसीलदार के प्रकरण के पृष्ठ कमांक 144 पर संलग्न है उसमें अनावेदक प्रेमलाल, स्वयं मौजूद थे और स्थल जांच पंचनामा प्रतिवेदन पर प्रेमलाल, जगदम्बा के सहमति पर हस्ताक्षर भी किये गये हैं, सहमति पर संशोधन प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिस आलोच्य आदेश की जानकारी दिनांक 8. 7.04 को यानी धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.10.16 के 12 वर्ष पूर्व जगदम्बा प्रसाद को थी एवं इसी तरह प्रेमलाल को भी दिनांक 21.9.16 के पूर्व थी इसके बावजूद समय सीमा के अंदर अपील प्रस्तुत नहीं किया था जिस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न करके स्थल पंचनामा को दृष्टिओझल कर आवेदन समय सीमा के अंदर मानने में कलेक्टर जिला सीधी द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। अनावेदक का यह कहना भी है कि विचारण न्यायालय की जानकारी नहीं थी जबकि उनको तामील भेजी गई थी और उपरोक्त सम्मन प्राप्त करने के पश्चात ही विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये और उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई है । कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में विलंब मांफी का कोई विधि संगत व समुचित कारण भी प्रस्तुत नहीं किया है साथ ही प्रत्येक दिवस के विलंब का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया।

1–भेंरों प्रसाद विरूद्व म0 प्र0 शासन 2008 जे0 एल0 जे0 288 धारा–5 विंलब की मांफी के लिये आवेदन की जांच आवश्यक नहीं हैं जब तथ्य से ही अपीलांट को जानकारी में हैं

2–हस्थीमल विरूद्व जगदीश 2008 म0प्र0 वीकली नोट 32 धारा–5 833 दिन बाद अपील फायल करने में विलंब को मांफी का कारण वास्तविक नहीं अपितु वास्तविक रहित है। मांफ नहीं किया जा सकता।

इससे स्प्ष्ट है कि अनावेदकगण को आदेश की सूचना होते हुये भी कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में विलंब से अपील प्रस्तुत की, सहमति के हस्ताक्षर से भी स्पष्ट होता है कि आदेश की जानकारी होने के पश्चात भी विलंब से अपील प्रस्तुत की इस ओर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 39 / अपील / 2015–16 एवं आवेदन कमांक आर.सी.एम.सी. में पारित आदेश दिनांक 17.5.17 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर